

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Okay. Now, we will take up the Appropriation (No. 3) Bill, 2009. Shri Namo Narain Meena, Please keep quiet. Don't make noise.

## GOVERNMENT BILL

### The Appropriation (No. 3) Bill, 2009

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAYAN MEENA): Sir, on behalf of my senior colleague, Shri Pranab Mukherjee, I beg to move that the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2009-10, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Mr. Minister, do you want to say Something?

SHRI NAMO NARAIN MEENA : No, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Now, Shri Vikram Verma.

**श्री विक्रम वर्मा** (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने इस विनियोग विधेयक के माध्यम से 304 खरब, 32 अरब, 55 करोड़, 88 लाख रुपए की स्वीकृति सदन से चाही है। वैसे तो इसे पास करने या न पास करने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश में योजनाओं की जो स्थिति है, जिसके लिए सरकार को धन की आवश्यकता होती है, उन योजनाओं की यदि आप देखें तो उनका कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है और इसीलिए उनकी उपयोगिता एक प्रकार से प्रायः कम हो जाती है। बजट को पेश हुए भी लगभग 20 दिन हो गये। इसे 6 जुलाई को पेश किया गया था। देश में एकाध दिन को छोड़कर, जो प्रेस विज्ञप्ति सरकार की तरफ से आई, उसके बाद प्रायः पूरे देश के अंदर एक निराशा का वातावरण है। देश में एक प्रकार का जो आर्थिक विश्वास पैदा होना चाहिए था, उस प्रकार का कोई आर्थिक विश्वास पूरे देश के अंदर पैदा नहीं हो पाया। इसलिए जो उम्मीदें थीं कि कुछ सकारात्मक काम होंगे, आम आदमी को राहत मिल पाएगी, इस प्रकार का कोई संकेत आज तक इस दिशा में नहीं आ पाया है।

अभी शुक्रवार को माननीय वैकैया जी ने आंध्र प्रदेश सरकार का एक विज्ञापन जो अखबारों में छपा था, वह सदन के पटल पर रखा था, उसके बारे में बताया था। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। उसमें आंध्र प्रदेश सरकार ने स्वयं यह बताया था कि वहां किन-किन वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। वह अपने आप में इस बात का ज्ञापन है कि किस प्रकार से महंगाई एकदम बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ, हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से जो बराबर आता है, टीवी पर आ रहा है और समाचार पत्रों में आ रहा है कि महंगाई का रेट माइनस से भी नीचे चला गया है। यानी, दोनों में कहीं समानता नहीं दिखती, क्योंकि एक तरफ तो आंध्र प्रदेश की सरकार स्वयं महंगाई के आंकड़े प्रस्तुत कर रही है। आप बाजार में चले जाएं, आपको महंगाई पता चल जायेगी, लेकिन दूसरी तरफ इस प्रकार की जो बातें हैं, वे कोई विश्वास पैदा करने वाली बातें नहीं हैं। बाजार में चीजों की कमी है। दालें आयात की गईं, लेकिन आज वे आयातित दालें कहां हैं? वे दालें कहां गईं? वह जनता के बीच में नहीं पहुंची। उपभोक्ता को नहीं

मिल पा रही है और इसलिए उसका भाव 90 रुपये और 100 रुपये तक जा रहा है। आखिर ये सब चीजें आयातित होती हैं, बुलाई जाती हैं, लेकिन कहां जा रही है?

माननीय कृषि मंत्री जी ने शुक्रवार को यहां पर एक घोषणा की कि सरकार ने गेहूं और बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, चावल के निर्यात पर रोक पहले भी लगी थी, दालों के निर्यात के ऊपर भी रोक लगी थी, लेकिन दालों को निर्यात कर दिया गया। इसी सदन के अंदर मामले उठे। क्या आज तक उसकी जांच हो पाई? क्या यह पता लग पाया कि आखिर किन लोगों ने निर्यात किया, किस प्रकार से हुआ या किस चैनल से हुआ? इसी प्रकार, अभी आप बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस मांग पर, जो पिछली बार चावल और बाकी चीजों के बारे में हुई, करीब 2,500 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला "आउटलुक" में, इसी सदन के अंदर और बाकी जगह भी उठाया गया। कहां गया वह? यह सीधा-सीधा 2,500 करोड़ रुपये का स्कैम है। आप यह घोषणा कर रहे हैं कि हमने निर्यात पर रोक लगाई। जो निर्यात उस दाम हुआ, वह आखिर कहां गया? आप देखें, घाना के राष्ट्रपति जी ने इसको और स्पष्ट किया है कि हमारे यहां वह चावल घाना पहुंचा ही नहीं। आज यह स्थिति बनी हुई है। जहां तक माननीय वित्त मंत्री जी का दावा है कि हमने हर योजना की राशि पहले से अधिक बढ़ा दी है, इसे बढ़ा कर जितनी राशि की गई है, खास तौर पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में, उसमें 39,100 करोड़ रुपये और पिछले वर्ष के बजट से 144 परसेंट अधिक दर्शाया गया है। हालांकि यह आठ महीने का बजट है, यह पूरे नौ महीने का भी नहीं। आठ महीने में आपने राशि बढ़ाने की बात की है, लेकिन आप जरा देखें कि पिछला बजट जो 365 दिन का, पूरे वर्ष का था, उसमें पूरे देश के रोजगार का एवरेज 42 दिन आया था। जब आपने 365 दिनों में 100 दिनों के रोजगार देने की बात की तो अधिकतम कार्य का विवरण केवल 42 दिन, ज्यादा से ज्यादा 44 दिन, इसी सदन के क्वेश्चंस के अंदर आया। आपका इस बार का बजट 365 दिनों का नहीं है बल्कि यह अब केवल 242 दिनों का है। आप यह कैसे कल्पना कर रहे हैं कि इन 242 दिनों में लोगों को आप 100 दिनों तक का रोजगार उपलब्ध करा पाएंगे?

दूसरी बात, जिसको एक प्रकार से इसमें छिपाया गया है, वह यह है कि पहले जब बजट कम था, तब यह योजना पूरे देश में लागू नहीं थी। NDA सरकार के समय जब कुछ पिछड़े जिलों में फूड फॉर वर्क योजना लागू की गई थी, जब रोजगार गारंटी योजना लागू की गई, तो उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स को हाथ में लिया गया। पहले जब यह योजना प्रारंभ हुई तो यह केवल 200 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू हुई, उसके बाद 300 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू की गई और चुनाव से पहले आपने इसको पूरे देश में लागू करने की घोषणा की। लेकिन, आधा समय बीत चुका था जब आपने इसकी घोषणा की और इसलिए स्वाभाविक रूप से आपका यह दावा कि हमने रोजगार गारंटी योजना में 144 प्रतिशत अधिक धनराशि 39,100 करोड़ रुपये दिया है, सही नहीं है। मैं इसके इम्प्लिमेंटेशन की बात कर रहा हूँ कि जब पहले ही इसका कार्यान्वयन नहीं हो पाया, तो अब आपका इतनी धनराशि बढ़ाना केवल दिखावे के लिए है, क्योंकि वहां पर काम होना नहीं है। आपके पास न समय है और जो यह

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

आपका दावा है, वह दावा इस आधार पर गलत है कि पहले यह योजना कम डिस्ट्रिक्ट्स में थी, अब चूंकि पूरे देश को इसमें कवर किया जा रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से बजट प्रोविजन आपका बढ़ाने पड़ेगा - 200, 300 जिलों के नहीं बल्कि अब 550 से अधिक जिलों के हिसाब से आप करने जा रहे हैं।

इसमें जो एक दूसरा कम्पोनेंट जोड़ा जा रहा है, वह है कि स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण होना चाहिए। निश्चित रूप से यदि रोजगार के साथ-साथ हम वहां कोई स्थायी कार्य कर सकें तो ज्यादा अच्छा है, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन, मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात बता सकता हूँ। हमसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमारा जॉब कार्ड सरपंच ने, सचिव ने या किसी और ने ले लिया, आज तक हमारा क्या काम है, क्या नहीं है, हमारे पास आया ही नहीं। अब ये जो नीचे के लेवल की कठिनाई है, इम्प्लिमेंटेशन में नीचे जो खामियां हैं, उसके बारे में भी इतने वर्षों बाद, योजना लागू होने के बाद भी हम उन खामियों को दूर नहीं कर पाए।

आपने अब यह किया कि बैंक से पेमेंट चालू करेंगे। अब जो बैंक है, हर पंचायत में जहां-तहां आप काम खोल रहे हैं, लेकिन वहां बैंक नहीं हैं, बैंक कम से कम 15, 20 या 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप उसका वहां एकाउंट खोलने जा रहे हैं। बड़ा बैंक तो एकाउंट खोलने को तैयार नहीं, उनका कहना है कि 100 रुपए रोज का, उस समय तो 85 रुपए था, तो 80 और 85 रुपए रोज का है, इसका हम खाता कैसे खोलें। उनके लिए तो यह एक प्रकार से, उनके नार्म्स के हिसाब से, खर्चीला बैठता है, इसलिए वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन, जैसे जैसे करके अगर एकाउंट खोल भी दिया तो किस्ते जमा नहीं हो पाती हैं। इसलिए जब मजदूर अपना दो, चार, आठ या दस दिन का पेमेंट लेने के लिए जाता है, तो दो-दो तीन-तीन बार उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं। अपने पास से किराया देकर उसको बैंक जाना पड़ता है, वह दिनभर वहां खड़ा रहता है, तब जाकर कहीं पेमेंट होता है। तो यह जो इसकी वास्तविक धरातल पर कमियां हैं, इन कमियों को यदि आप दूर नहीं कर पाएंगे तो इसकी उपयोगिता बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसलिए इन सब कमियों को दूर करने की दिशा में प्रयास होना चाहिए।

आपका दूसरा क्षेत्र है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। आप देखें पेज 11 पर आपके बजट में आपने 59% अधिक राशि से 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह योजना इस वर्ष सिर्फ 6 महीने चलेगी। आप कह रहे हैं कि हमने 59% ज्यादा राशि रख दी है, लेकिन योजना चलने वाली कितने दिन है। अभी आपका 15 सितम्बर तक कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता है और स्वाभाविक रूप से 15 सितम्बर के बाद ही काम चालू होता है, इसलिए इस योजना में आपके पास 6-7 महीने हैं। इन 6-7 महीने में आप यह देखें कि पुराने टारगेट तो आप पूरे कर नहीं पाएंगे और आप कह रहे हैं कि हमने इतने प्रतिशत धनराशि बढ़ा दी है। केवल वाहवाही लेने के लिए कि हम कितने गंभीर हैं इस मामले में, इसके लिए यह केवल आंकड़ेबाजी है, निश्चित रूप से यह नहीं हो पाना है। इसमें नीचे तक जो काम होना चाहिए, वह संभव नहीं है। मैं आपके सामने बताता हूँ कि यह योजना सन् 2000 में प्रारंभ हुई थी। यह योजना कितनी उपयोगी है, आप जरा इसको देखें। सर, गवर्नमेंट का document यह बताता है कि इस योजना से कितना लाभ होना है। 'ग्रामीण सम्पर्क' के पेज 5 पर प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में आप देखिए - अनुमान है कि PMGSY के प्रभावी कार्यान्वयन से एक दशक में ही प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, GDP, में तीन गुणा वृद्धि होगी.....

इस प्रकार इस कार्यक्रम के पूरा होने पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 2.3 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। अब आप यह स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसकी स्थिति यह है कि 6,00,000 किलोमीटर सड़क बननी है, लेकिन अभी तक केवल 2 लाख किलोमीटर सड़क ही बन पाई है। एक तरफ आप यह दावा कर रहे हैं कि हमने इतना अधिक पैसा रख दिया है, लेकिन उतना पैसा रखने के बाद भी, उस प्रोजेक्ट की स्थिति कैसी है? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की

यह जो एनुअल रिपोर्ट आई है, आप इसी के आंकड़े देख लीजिए कि अभी तक कुल कितनी सड़क बनी है, कितना काम हो पाया है। इसलिए मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि अभी तक कुल मिलाकर लगभग 3,42,845 गांवों को जोड़ना बाकी है। वर्ष 2000 में जब यह योजना प्रारंभ की गई थी, तब उसका टारगेट यह था कि वर्ष 2007 तक हिंदुस्तान की 500 लोगों की आबादी को एक प्रकार से बारहमासी सड़क उपलब्ध कराकर जोड़ा जाएगा। वर्ष 2004 की प्रगति के तुलनात्मक आंकड़े आप देखें, उसके बाद आज 2009 आ गया है, लेकिन 2009 तक भी वह टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। अब आपका टारगेट है कि हम 2010 तक इसे पूरा करेंगे, बाद में फिर आपने इसमें संशोधन किया कि हम इसको 2012 तक पूरा करेंगे, इसका मतलब है कि सरकार की इसके प्रति उत्तनी गंभीरता नहीं है, क्योंकि इतनी धीमी गति से यह काम चल रहा है। केवल बजट प्रावधान बढ़ाकर दिखाने से सड़क का निर्माण संभव नहीं है।

महोदय, अभी स्थिति यह है कि 3,42,845 गांव इसमें जोड़ने हैं और कुल 3,65,094 किलोमीटर सड़क अभी बनानी है, तब जाकर हम ढाई सौ तक की आबादी को कवर करेंगे और इसके लिए 1,32,000 करोड़ रुपए की आज भी जरूरत पड़ेगी। यह मैं आपकी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूँ। पहले 600,000 किलोमीटर सड़क बननी थी, उसमें से अभी तक कुल 200,000 किलोमीटर सड़क बन पाई है, 4,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम अभी बाकी है और इसके अलावा tribal areas, hill areas तक जाना है, मुझे नहीं लगता कि वह संभव हो पाएगा। इसी प्रकार आप ऊर्जा के बारे में देख लीजिए, आपकी आर्थिक समीक्षा के पेज 225 पर आप देख लीजिएगा कि इसमें बताया गया है कि 2008-09 के दौरान विद्युत इकाइयों द्वारा किए गए विद्युत उत्पादन में 2.7 प्रतिशत वृद्धि हुई, जो कि 9.1 परसेंट के लक्ष्य से काफी कम है। आपका टारगेट था 9.1 परसेंट और आपकी वृद्धि हुई है 2.7 परसेंट। अब आप पैसा मांग रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हम budget provisions बढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप पैसे की डिमांड तो कर रहे हैं, लेकिन जो टारगेट है, उससे आप बहुत पीछे चल रहे हैं। बिजली की यह स्थिति आपकी बनी हुई है। बजट में केवल साढ़े तीन ... (व्यवधान) ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is only the Appropriation Bill. बजट पर डिस्कशन हो गया है ... (व्यवधान) ...

**श्री विक्रम वर्मा :** नहीं, मैं बजट पर नहीं बोल रहा हूँ ... (व्यवधान) ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I am just pointing it out to you. आप फिर दोबारा ... (व्यवधान) ...

**श्री विक्रम वर्मा :** मैं यह कह रहा हूँ कि जब आप पार्लियामेंट से एप्रूवल ले रहे हैं, तो आपका कोई टारगेट तो हो, टारगेट से आप कितना पीछे चल रहे हैं, कम से कम सदन को यह तो पता होना चाहिए। मैं दो-दो लाइनों में केवल कुछ प्वाइंट्स बताना चाहता हूँ, जो दो-तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैं केवल उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ।

आप पालिसी को देख लें। आप इलेक्ट्रिसिटी पालिसी में स्वयं अमेंडमेंट लाए, उसमें तीन चीजों का फोकस था - एक था Rural Electrification Policy, इसके लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजना आप देखें, उसमें आपके sanctioned provisions थे for access to electricity to all households by the year 2009. वर्ष 2009 तक हिंदुस्तान के हरेक गांव के हर-घर तक आपको बिजली पहुंचानी थी, यह आपने अपने पॉलिसी ड्रॉप्ट में लिखा है।

आज स्थिति क्या है, 2009 में हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं, क्या हम सारे गांवों तक पहुँच पाए हैं? दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण बात थी, वह यह थी - Quality and reliable power supply at reasonable rate. अब quality and reliable power supply की ओर मैं केवल इसलिए ध्यान दिला रहा हूँ कि केवल सरकार को पैसा दे देना, बजट दे देना काफी नहीं है। प्रोविजन करके आपने ले लिया, लेकिन आपने रूल्स बनाए, आपने पालिसी बनाई, आपने टारगेट बनाया, क्या वहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं? संसद को यह जानने का अधिकार है, इसलिए मैं इन मुद्दों को ला रहा हूँ कि आप Appropriation Bill के माध्यम से इतनी बड़ी धनराशि तो ले रहे हैं, लेकिन हम कितना पीछे चल रहे हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री और आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बारे में सदन को यह बताएं कि आपके जो अपने टारगेट हैं, इनको आप कब तक और कैसे पूरा करेंगे?

आप जरा भुखमरी और कुपोषण पर देखें। माननीय कोयला मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, बिजली की बात चली है, तो मैं पहले कहना चाहता हूँ कि आप कोयले की सप्लाई दे नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारा कोयला है, और भी States का अपना कोयला है, आज भी एक-दो जगह की बात आई है, कोयला हमारा है, जमीन हमारी है, लेकिन उस पर अधिकार आपका है। वहां बिजली के लिए आपसे एग्रीमेंट होता है, आप खुद बताते हैं, लेकिन आप उतना दे नहीं रहे हैं, तो फिर यह जो आपका टारगेट है कि गांव के हर household तक बिजली पहुंचे, आखिर ऐसी स्थिति में यह कैसे पहुंच पाएगी? जब तक राज्यों के साथ आपका सकारात्मक सहयोग नहीं बनेगा, उन्हें आवश्यकता के हिसाब से नहीं देंगे, तब तक आपके ये टारगेट कैसे पूरे होंगे?

आप आर्थिक समीक्षा की पेज सं. 263 को पढ़ें। एक प्रकार की दर्दनाक स्थिति बनी हुई है। उस सर्वे में आया है निर्धनतम सात राज्यों के सोलह जिलों के 75 प्रतिशत परिवारों को दो वक्त का नियमित भोजन नहीं मिलता है, यह इस रिपोर्ट में है। आज हमारी यह स्थिति है कि 29 प्रतिशत लोगों को मुश्किल से खाना मिल पाता है। राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे संगठन की रिपोर्ट पर विश्वास करें, तो देश की आबादी का ऊपरी तबका अपने भोजन से जो कैलोरी प्राप्त करता है, उससे 30 से 50 प्रतिशत से भी कम कैलोरी देश की बहुसंख्यक आबादी प्राप्त करती है।

**श्री उपसभापति :** इससे Appropriation Bill का क्या लगाव है ...**(व्यवधान)**... देखिए, मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं बोलिए ...**(व्यवधान)**...

**श्री विक्रम वर्मा :** माननीय उपसभापति जी, जब हम आम आदमी की सरकार और आम आदमी का बजट की बात कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति :** आपको बोलना है, तो बोलें ...**(व्यवधान)**... Budget Session में आपको यह बात बोलने का मौका था ...**(व्यवधान)**... जो आपने किया।

**श्री विक्रम वर्मा :** देश के अंदर भुखमरी और कुपोषण है और बाकी की स्थिति ऐसी बनी हुई है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर हम इसका उपयोग कैसे कर पा रहे हैं और इसके लिए नीचे योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार से हो रहा है?

आज एग्रीकल्चर में देख लीजिए। जिस प्रकार से आपने टारगेट तय किया है, आज एग्रीकल्चर सेक्टर 52 से 54 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराता है। एक बार केवल ऋण मुक्ति कर देने से हमारा काम नहीं चल पाएगा। हमें ऋण मुक्ति के अलावा कुछ वर्ष तक यानी तीन, चार, पांच साल तक सतत किसानों को मजबूत करने के लिए और निरंतर योजनाओं की बात करनी होगी, अन्यथा इस साल सूखा पड़ गया या कहीं बाढ़ आ गई, फिर वही की वही

स्थिति बन जाएगी और फिर किसान कर्ज के चक्रव्यूह में पड़ जाएगा। इसलिए स्वाभाविक है कि यदि समय रहते हम बजट में कुछ इस प्रकार के प्रोवीजन नहीं करेंगे, तो कल यह स्थिति बनेगी। जैसे कि आज कुछ मुख्यमंत्रियों ने सूखे के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए मांग की है, उनके लिए इस विनियोग कोई प्रोवीजन की बात नहीं की गई है कि उनके लिए किस प्रकार से एलोकेशन किया जाएगा। आपने केवल यह कह दिया है कि एक मद होता है, जिसके तहत उनको दिया जाता है। अभी जो तात्कालिक परिस्थितियां सामने आ रही हैं, जिसके कारण किसान फिर नए कर्ज के चक्र में पड़ने वाला है, उसके बारे में किसी प्रकार के उपाय या किसी प्रकार के सुझाव या किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं की गई है, अन्यथा फिर थोड़े दिन में वही की वही परिस्थिति बनने की बात होगी।

आपने बजट में यह घोषणा जरूर कर दी कि जो समय पर ऋण का किस्त चुकाएगा, हम उसको एक परसेंट कम यानी सात की जगह छः परसेंट की ब्याज पर और ऋण देंगे। पर आज स्थिति यह है कि सूखे और बाढ़ के कारण खेती की यह हालत होने वाली है तो समय पर कौन किस्त चुका पाएगा? कुछ राज्यों ने ब्याज दर कम किए, उन राज्यों को सहायता देने के बारे में इसमें कोई प्रावधान नहीं है। आपने सीधा-सीधा बजट भाषण में घोषणा कर दी कि हम उनके लिए छः परसेंट करेंगे, जो समय पर किस्त चुकाएगा। लेकिन जिन राज्यों ने अपने पास से इसको पांच परसेंट पर लाया, मध्य प्रदेश तीन परसेंट पर लाया, तीन परसेंट पर और किसानों को देने वाला है, ऐसे राज्यों को सहायता देने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है।

**श्री उपसभापति :** आपके दो सदस्य और बोलने वाले हैं और आपके बीस मिनट हो गए हैं...(व्यवधान)...

**श्री विक्रम वर्मा :** महोदय, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैंने केवल दो-तीन बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित कराया है कि जो राज्य आज वास्तव में अपने पास से और अपने संसाधन से इस प्रकार की सहायता और सुविधा दे रहे हैं, उन राज्यों को कुछ भी सहायता देने के लिए इस विनियोग में कहीं भी किसी प्रकार के कोई प्रावधान नहीं रखे गए हैं और इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में जरूर चिन्ता करें।

इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और जो अन्य चीजें हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, उनके संबंध में मेरा बार-बार सरकार से आग्रह है कि हम बजट इसीलिए पास करते हैं या नीचे तक धनराशि इसीलिए जाती है कि हम सब उसका उपयोग करके, जो अपने टारगेट्स तय किए हैं, जो आपके अपने बजट भाषण में है, पिछले बजट भाषण में है या उसके पहले बजट भाषण में है या जो पॉलिसीज हैं, according to the policies, हम कहां तक पहुंचे हैं। इस विनियोग विधेयक के माध्यम से हमारा निवेदन है कि जो प्रमुख सेक्टर हैं, उन्हें देखने की आवश्यकता है। जो आपकी रिपोर्ट आयी है, उस रिपोर्ट के अनुसार आज हमारे यहां पचास परसेंट के ऊपर तीन से पांच साल के जो बच्चे हैं, वे कुपोषण की बीमारी से ग्रस्त हैं। आपकी जो रिपोर्ट आई है, यह उस रिपोर्ट में है। यदि उन बच्चों की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे, चिन्ता नहीं करेंगे तो आप कल्पना करें कि आगे क्या स्थिति होगी। महोदय, मैं आखिर में इस विनियोग विधेयक के संबंध में माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि पिछले वर्षों के कार्यान्वयन को देखते हुए, इस वर्ष जो भी धनराशि आप प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया उसके साथ यह भी देखें कि इसका कार्यान्वयन और उपयोग ठीक से हो तथा वास्तव में हम जो टारगेट प्राप्त करना चाहते हैं और जो लाभ उन्हें देना चाहते हैं, उस बारे में आप जरूर ध्यान दें। धन्यवाद।

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, I support the Appropriation (No.3) Bill, 2009 by which, for about 105 services and purposes, certain sums from the Consolidated Fund of India have been sought under article 114(1).

In my college days, Sir, whenever Budget was presented, to know whether it was good or not, I used to read Palkhiwala's comments; if Palkhiwala opposed the Budget, I always thought the Budget must be good. That is because certain elite or people from a certain class spoke only for that class of people. He used to hold a huge meeting at the Brabourne Stadium. At that time, a commoner like me always used to conclude from his opposition to the Budget that the Budget must really have been good. Nowadays, Rahul Bajajji criticises the Budget and I immediately come to the conclusion that it must be a good Budget.

Anyway, Sir, this Budget had a human approach. Therefore, the Appropriation Bill also has that approach. The Budget was community-oriented, rather than corporate-oriented. Therefore, it has a human approach. Why I am saying this is, one, because of emphasis on infrastructure and, two, because of emphasis on social sector. But, if the emphasis on infrastructure has to succeed, then, the most important part is the implementation part. The delay that is caused in implementation of infrastructural projects is tremendous; it is criminal and it is a wastage of money in the sense that, many a time, we have to spend double the estimated amount on infrastructure because of delays. These delays occur basically on account of the corrupt attitude of those involved. Therefore, without any hesitation, the Government has to invoke all the laws of the land including the Prevention of Corruption Act for the purpose of straightening those who are involved in delaying the projects. Secondly, if officers, whoever they may be and of whatever rank they may be, indulge in any delay or criminal negligence, then strict action must be taken under the Service Rules and those cases must be expedited and disposed of within six months. If this approach is taken and if they are aware of this approach of the Government, I am sure the infrastructure delay will be reduced to a considerable extent.

We know what happens in Delhi and other places. That is why, these are the instances, which I have given here. When crores of rupees infrastructure is going to come in the next few years, we have to straighten these lines for the purpose of achieving good results. Sir, because this involves funding, I would like to come to the demand of the State of Goa for a Special Category State. Recently, Sir, two days back, the hon. Finance Minister had come there, and we also acquainted him of the matter. There is a Gadgil Formula under which the distribution of funds is done. There were amendments in it from time to time, and as of today, there are eleven States to which the funds are allotted as per Special Category norms, Goa had missed two Five Year Plans. We were under the Portuguese rule for 450 years. We have to cater to international tourists to a large extent. Therefore,

Goa has to be considered as the 12th State in the category of Special Category States for the allotment of funds. I am saying this because for the Special Category States, 90 per cent is grant and 10 per cent is loan. So, for a small State like Goa, this facility has to be given.

Then, Sir, as far as tax concessions are concerned, it was given to Goa for a limited period. After some time, they were taken away and the entire industries shifted to Himachal Pradesh and Uttaranchal. These industries shifted from Goa because the tax concessions in Goa were withdrawn, आप बुरा मत मानिए, लेकिन हालत ठीक है। After 2007, it was decided by the then Finance Minister and the Government of India that a level-playing field will be available; there will be no concessions. Fine, we accepted that. But, somehow, there was a pressure from your State and ultimately the extension was there and today we are in trouble.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Naik, you should have mentioned all these things in the General Budget. ...*(Interruptions)*... How Goa is. ...*(Interruptions)*...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Sir, if I go technically, then I can quote every figure and then speak on that figure. There are 105 services mentioned here and my points are under that. ...*(Interruptions)*... Yes, Sir; I can justify that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can justify anything, but the Appropriation Bill is ...*(Interruptions)*...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: You see the debate on the Budget. ...*(Interruptions)*... That is the convention that you speak on the issues in general terms also. If we start speaking on figures, the House will be empty. ...*(Interruptions)*... So, Sir, the question is this, Goa is a small State. We have got limited land; we have got limited population. ...*(Interruptions)*... We would like to protect our land. ...*(Interruptions)*... We would like to protect our land. Therefore, we would like to have an amendment to article 371, just as Nagaland and Mizoram have done. I am asking for this because unless there is a constitutional backing, we cannot have a legislation to regulate land transactions. This is very vital for our growth. You may not see what is the provision for it in the Budget. Unless we do that, our land will not be protected. The same question arises in regard to migrants. I am not opposed to this thing. But, we have got a population of 14 lakh and 3,700 square metres of area. If two lakh migrant people come to Goa every year, then, how will we cope with it? Where is the infrastructure for it? We don't have power; we don't have water. So, these are the questions which should be seen from that angle.

Sir, ultimately, the officers of the All India Services who are there in Goa have to help the Government in implementing various schemes of the Budget. They have to help the Government in advising in each Department how to go about. These people of All India Services go to Goa for two years. We call them 'briefcase officers', because they just enjoy their posting there for two years, their family remains here. They would like to come here for weekend; go there on Monday, and they



do things like that. They are not interested in any project of the State. They don't advise the Government properly about the various projects of the Government of India. They do it because they know that they are there for two-three years. They are not committed to the good projects of the State. They are not committed to any project being implemented by the State of Goa. They don't give any advice. Not only that, Sir. The most important task which they have to do is to bring in the schemes of the Government of India to the State. In order to bring in the schemes of the Government of India to the State, they have to study those schemes. They have to find out what those schemes are. They don't take any initiative, Sir. Therefore, we are asking now for a special cadre of All India Services for Goa. Unless we get a special cadre, the Budget provisions for various programmes and all other programmes cannot be effectively administered.

Secondly, Sir, we have demanded before the Finance Minister when he came to Goa and held discussions with our Chief Minister. Our Finance Minister with our Chief Minister has announced a sea-link project from Dauna-pala to Panjim. It is a big adventure, for which we will require help from the Finance Minister. The Finance Minister was kind enough when he came to Goa to announce that he would render the necessary help to the Government of Goa in having the sea-link bridge, just like we have one in Mumbai. Though there may be less traffic on this route, but it would be a big tourist attraction for those who visit Goa.

Then, I would like to submit one or two points. As far as education is concerned, today is the world of internet, electronic medium. Those who give education on computer literacy are charged service tax. I do not think on schools who run secondary or higher secondary classes the service tax is levied. But, if a computer literacy institution educates in computers, it is charged service tax heavily. I think, the Government should reconsider and encourage such institutions. At the most, you can rate the institutions because so many institutions are mushrooming. You can grade them and good offer can be given this facility.

Sir, as far as the income-tax is concerned, I would like to make a small suggestion. Currently, there are no time-limits prescribed for the disposal of rectification of applications for orders giving effect to appellate orders. The Act needs to prescribe time-limit for the disposal of rectification of applications for orders giving effect to appellate orders. Secondly, currently, all refunds from the Income-Tax Department are issued manually and this can be time consuming and requires constant follow up with the tax authorities.

Sir, as far as depreciation is concerned, traditional definition according to old economy for depreciation is wearing out of capital and it is not relevant to IT products as these never wear out, they just become obsolete. It is, therefore, strongly recommended that the rate of depreciation on IT products be increased to 100 per cent from the existing 60 per cent reflecting the true active life. This

will indirectly subsidise the cost of ITs to the corporates by at least 14 per cent and lead to consumption of additional one million computers created in replacement and ensuring investment in cutting-age technology. This is required because they do not wear out, they just become obsolete. Therefore, depreciation concept, as far as computers are concerned, should be given rethinking. Thank you very much, Sir, for the time given.

SHRI MATILAL SARKAR (Tripura): Sir, thank you, I have some observations in regard to the Appropriation Bill (No.3), 2009. I would like to invite the attention of the hon. Finance Minister, on the observation, to clause 3 of the Bill. It is stated that the sums shall be appropriated for the services and purposes expressed in the schedule. I will speak on clause 3 in regard to the items of the sums sought for here.

Sir, coming to the agricultural sector, we have seen in the annual report, it is stated, "The production of wheat, coarse cereals, sugarcane, pulses is decreasing year-to-year," It is decreasing. On the other hand, cash crops production is increasing. So, for the export benefit, cash crops are being produced in some areas. As a result, what happens? There is a shifting of cultivation from foodgrains to cash crops. That is why, we are becoming dependent on the other countries in regard to wheat, coarse cereals, pulses, etc.

So, what is the aim of the Government to revive this sector so that we may not depend on import for our day-to-day food and other essential commodities? Sir, what is seen is that the import cost was about Rs.30,000 crores in the year 2008-09. If we can divert this amount to support the farmers in respect of irrigation, in respect of giving them credit flow at the rate of 4 per cent interest, as Prof. Swaminathan recommended and if we can do it, then our farmers would be able to produce more, they would be benefited and at the same time, production would go up. Why do you not reverse this? At the same time, for not doing this, what is the plight of the farmers? Sir, every year about 15,000 to 17,000 farmers are committing suicide. There are two main reasons for these suicides by the farmers. One reason is credit flow. They are not getting institutional credit flow from the banks and other financial institutions. They are not getting it. They are rushing to the moneylenders. What about the moneylenders? The moneylenders can get loans from the banks and they are giving loans to the small farmers. So, the rate of interest is three or four times high. This is way the farmers are destined to commit suicide in some areas of the country. So, why care has not been taken to see how we can combat the farmers' suicides. Coming to Item No. 16, PDS, Sir, our demand is that PDS should be universalised. There should be no difference in providing food and other essential commodities. Sir, what happened in the Budget? For the BPL, it has been reduced from 35 kgs. to 25 kgs. I am asking the hon. Minister whether he is advising the poor to remain half fed because you are reducing it from 35 kgs. to 25 kgs. You are giving at Rs.3 per kg., that is right but you are reducing the quantity. If somebody requires 35 kgs., for 10 kgs. how much he will be spending you

can easily see. Ultimately, they are not getting food at the lower cost. They are not getting it. You maintain 35 kgs. They are to pay more, more than what was necessary in the previous time. So, this is not helping the poor. Sir, price hike is one of the most important things. I am sorry to say, Sir, we have seen NDA and we have seen UPA, nobody is worried about this price hike. It is skyrocketing. What is to be done, I do not know. Sir, I am giving one suggestion. If the Government is ready to supply 14 to 15 essential commodities at the affordable rates through Fair Price Shops I can challenge that the prices will come down. I do not know whether the Government is ready to take this suggestion. They should distribute 14 or 15 items through Fair Price Shops at affordable rate. Sir, now I come to the Item No.80 about NREGA. While discussing NREGA and the sanctioned amount that the Government has sought in the Bill, I am to mention about my State, the State of Tripura. As regards the completion of the projects, we stand first. In the whole country, we stand first. As regards the quality and other things, we stand second.

So, I have the legitimate right to comment on NREGA affairs. Sir, here for 100 days you are not keeping provision. The provision you are keeping here comes out to be 39 to 40 days per labour. So what about the Act? The Act was for 100 days. You are not keeping provision for 100 days. Last year in Tripura we have gone up to 62 days. That is because the money was not received on time. My State is efficient enough to spend 100 days' component also. But, that was not available in time. That is the thing. Sir, my demand is that there should be 200 days. You amend the rule and make it 200 days. You are providing 100 days. What about the other days? Where will they get work? **...(Time bell rings)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have only two more minutes.

SHRI MATILAL SARKAR: I will take five more minutes, Let me try.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. I have been requesting the Members not to make it a General Budget discussion.

SHRI MATILAL SARKAR: I would like to bring to the notice of the hon. Minister one very important issue. In my State, the State Government of Tripura has taken a decision about a programme called the Urban Employment Programme for the poor of the urban areas and this is the first of its kind in the country. It is already in force. It is called the Tripura Urban Employment Programme. The slum dwellers and other poor people living in the other cities deserve benefits like NREGA scheme. They also deserve this. But, in no other city in the country it is invoked. In our State we have started it and, I think, in all other cities if the Central Government takes the decision it can be spread to all other cities. Sir, only two points I have to mention about the Right to Forest Dwellers. This is a very commendable Act which we have passed. Already we have started. We have already given pattas to about 60 per cent of the forest dwellers. There was election and the rest 40 per cent

we will complete soon. The problem is about three generations that you have mentioned in the Act. They have to give documents that they are living there for three generations. Sir, the tribal people, the primitive people did not bother for documents. They are living there. They are enjoying and making use of forest for themselves. That was the custom. If we ask for the document, from where will they give it? From the kings' period they have been living there. So, this is the thing to be followed liberally. I think, the condition should be relaxed on the point about the three generations. That should be substituted by some other suitable criteria. Sir, in Tripura, there are not only tribals, there are non-tribals also. Indira-Mujib Pact says that, "All those refugees who entered India prior to March 25, 1971 will be allowed to stay in India. It is clearly written in Indira-Mujib Pact. So, if you impose "three generations" that will be an injustice to those who came before March 25, 1971. So, that has to be looked into, They are refugees. They entered into forest. They managed to live there for bread and butter. They had to rush there for fear of life. They had entered into forest for fear of life at the time of partition of India. For these two reasons, the documentation criteria have to be relaxed. The last point is about the Sixth Central Pay Commission. Sir, the Government has accepted the recommendations and implemented the same for the Central Government employees. But, at the same time, the State Government employees are not getting this benefit. Sir, the State Government employees and the Central Government employees are purchasing commodities from the same market, residing side-by-side. But, on the one hand the Central Government employees are getting the benefit of the Sixth Pay Commission and on the other the State Government employees are not getting it. So, is it not the duty of the Central Government to look after them also? The State Government may not be having money. What share are you giving to the States? Sir, in the NDC meeting, the Chief Ministers of States unanimously demanded that the share of the Central revenue should be raised to 50 per cent to the States. Now, you are giving 25 Percent or 29 per cent, not more than that and keeping the rest with you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sarkar, you have to conclude. You have taken a lot of time. Please, conclude.

SHRI MATILAL SARKAR: I am concluding, Sir.

Sir, the Report of the Sixth Pay Commission should also be implemented for the employees of the States and the money should be given to the States according to the demands.

With these words, I conclude my speech. Thank you.

**श्री महेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) :** धन्यवाद उपसभापति महोदय। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि जो विनियोग विधेयक 2009 है, उस पर सरकार कार्य करे। विगत 60 सालों के अन्दर हर सरकार अपना विनियोग विधेयक लाती रही है और उन्हें पारित कराती रही है। Budget allocations होते हैं, उसके बाद पास कर दिए जाते

हैं, लेकिन implementation बहुत ही खराब है। अगर पिछले 60 सालों में implementation सही रहा होता, तो शायद आज आम आदमी को सड़क, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान आदि समस्याओं से नहीं जूझना पड़ता। सर, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि वे कृपया accountability की ओर ध्यान दें और यह देखें कि जो निर्णय लिए जाते हैं, जो budget allocations दिए जाते हैं, appropriation करके जो रुपए दिए जाते हैं, उनका सही उपयोग क्यों नहीं होता है और आम आदमी तक वे सुविधाएं क्यों नहीं पहुंचती हैं।

हम सभी जानते हैं कि आज हमारे देश की 60 प्रतिशत से अधिक जनता कृषि में लगी हुई है और हमारे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 27 प्रतिशत है। यह असमानता ही हमारी कृषि को आकर्षणहीन बना रही है, जिसके कारण आज लोग कृषि में न लग कर इधर-उधर जा रहे हैं। भारत में विश्व की सब्जियों का उत्पादन लगभग 15 प्रतिशत है, विश्व में भारत में फलों का उत्पादन लगभग 8 प्रतिशत होता है, लेकिन 40 प्रतिशत फल और सब्जियां बाजार में पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती हैं। इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि कृषि के जो उत्पाद हैं, उन्हें कैसे सही ढंग से बाजार में पहुंचाया जाए, जिससे हमारे किसान आत्मनिर्भर हों, किसान की आमदनी बढ़े और कैसे सरकार बिचौलियों को समाप्त करे, क्योंकि जब तक हमारा किसान मजबूत नहीं होगा, हमारे किसान के पास पैसा नहीं होगा, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। किसानों और मजदूरों की ओर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

यह भी एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया है कि देश के 73 प्रतिशत किसानों की बैंकों तक पहुंच है, लेकिन क्या वास्तव में उन बैंकों का लाभ किसानों को मिल रहा है, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

डीजल बराबर महंगा होता चला जा रहा है। आज हालत यह है कि मानसून बिगड़ चुका है। इसके लिए विशेष सहायता की आवश्यकता है। इसके लिए हमारे इस बजट में कोई भी विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

भारत निर्माण योजना, जिसे सरकार ने चार साल पहले बड़े जोर-शोर से लागू किया था, असल में उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा योजना के तहत जो लक्ष्य दिल्ली में निर्धारित किए गए थे, राज्यों तक पहुंच कर वे सब सिकुड़ जाते हैं। उनका implementation सही नहीं होता है। 2005-06 से 2008-09 तक एक करोड़ हेक्टेयर खेतों को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया था। परियोजना का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी लक्ष्य की परिधि में रखे गए किसानों को अधिकतर खेत-पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। भारत निर्माण योजना के अन्तिम वर्ष 2008-09 के जो आंकड़े हैं, अगर उसे देखा जाए, तो 9878.26 हजार हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य प्राप्त करना था, जिसके स्थान पर केवल 1196.777 हेक्टेयर का लक्ष्य ही प्राप्त हो सका है। हम किस प्रकार अपने लक्ष्यों को पाएंगे, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि इम्प्लिमेंटेशन की ओर बहुत ध्यान दिया जाए। जम्मू-कश्मीर के लिए 101.56 हजार एकड़ का लक्ष्य था, लेकिन प्रगति शून्य रही। बिहार में 1699 हजार एकड़ के लक्ष्य के विपरीत मात्र 16 हजार एकड़, उत्तर प्रदेश में 977 हजार एकड़ के विपरीत केवल 377 हजार एकड़ लक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी केन्द्र का राज्यों के साथ कोई सामंजस्य नहीं रहा है। इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

देश में खेती और किसानों की यह दुर्गति है, अगर स्थिति यही बनी रही तो हम आर्थिक प्रगति के 9% के आंकड़ों तक कैसे पहुंच पाएंगे? इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जल्द ही इस ओर ध्यान दिया जाए। सरकार ने

यह भी कहा है कि हम खाद्य सुरक्षा के लिए एक विधेयक लाएंगे, लेकिन इसे किस प्रकार से किया जाएगा? मेरी राय यह है कि इस ओर थोड़ा तेजी से कार्य किया जाए।

विश्व की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनमें यह कहा गया है कि विश्व के एक-चौथाई, अर्थात् 25% लोग भारत में रहते हैं। यह संख्या 2 करोड़ 30 लाख है तथा साढ़े चार करोड़ के लगभग लोग ऐसे हैं, जिन्हें शाम का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है।

विकास में भी असमानताएं हैं। जो प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात विकास की दृष्टि से अति विकसित प्रदेश हैं, वहां पर भी भुखमरी की स्थिति ज्यादा खतरनाक है। दिल्ली, जहां पर प्रतिव्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, वहां पर 26% बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं।

गरीब जनता तक सही दामों पर भोजन को पहुंचाने के लिए जो बहुत ही आवश्यक आधार है, वह है पीडीएस सिस्टम। पीडीएस सिस्टम के अन्दर भी बहुत कमियां हैं और हर जगह पर इसमें रुपयों का गोलमाल किया जा रहा है। पीडीएस सिस्टम के लिए जो अनाज दिया जाता है, वह खुले बाजार में बिक जाता है। दलहन अनाज की स्थिति भी यही हो रही है। यहां पर हमें देखना होगा कि किस प्रकार हम पीडीएस सिस्टम को और स्ट्रॉंग करके सही व्यक्ति तक अपने सामान को पहुंचाने की व्यवस्था कर सकें।

आज हमारा पूरा पीडीएस सिस्टम फेल हो रहा है। क्यों? सदन में कृषि मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि पीडीएस सिस्टम में खामियां हैं। इसमें बोगस राशन कार्ड की समस्या है। लेकिन केवल सदन में इसकी स्वीकारोक्ति कर देने से ही बात समाप्त नहीं हो जाती है, उसका कोई हल निकाला जाए। इसी प्रकार से बीपीएल को लेकर भी एक बड़ी भारी समस्या है कि वास्तव में बीपीएल कौन है? कौन-से व्यक्ति बीपीएल में आते हैं? कृषि मूल्य नीति में कहा गया था कि खाद्य सुरक्षा नीति के तहत हर गरीब को सही समय पर अन्न की आपूर्ति की जाएगी, लेकिन अभी तक सरकार गरीबी का ही निर्धारण नहीं कर पा रही है कि कौन गरीब है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए गरीबी की परिभाषा अलग है, खाद्य मंत्रालय के लिए गरीबी की परिभाषा अलग है, राज्यों में अलग है और योजना आयोग गरीबी को अलग तरीके से परिभाषित करता है। कम से कम केन्द्र सरकार यह तो देखे कि हर जगह पर गरीबी की परिभाषाएं एक सी हो जाएं। 1990 तक पीडीएस सार्वभौमिक था और 1987-88 में सूखे के समय इसकी अहम भूमिका रही। 1997 में आप टारगेटिड पीडीएस सिस्टम लेकर आए और इस सिस्टम में आपने बीपीएल और एपीएल दो भागों में पूरी जनसंख्या को विभाजित कर दिया, लेकिन फिर भी उसके अनुसार कार्य नहीं हो पाया।

उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हम लोगों ने एलोकेशन किया है और क्या उसके हिसाब से हम आगे भी चल रहे हैं? प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में हमने 12,000 करोड़ रुपया बढ़ाया, पावर सैक्टर में हमने यह कहा कि हम कम से कम अपना 5000 मेगावाट जोड़ेंगे। ऐसा क्यों? अगर चीन एक लाख मेगावाट जोड़ता है तो हम 5000 मेगावाट की बात क्यों करते हैं? अभी कुछ समय पहले प्रश्न काल में एक प्रश्न के उत्तर में विद्युत मंत्री जी कह रहे थे कि 1 लाख 50 हजार मेगावाट का प्रोजेक्शन है, केवल 15 हजार मेगावाट की कमी है। अगर केवल 15 हजार मेगावाट की कमी है, तो फिर इतनी अधिक बिजली की कटौतियां क्यों हो रही हैं? लोगों को बिजली क्यों नहीं उपलब्ध हो रही है? कहा जा रहा है कि हम राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत हर गांव तक बिजली पहुंचा रहे हैं। क्या वहां पर केवल बिजली का कनेक्शन देने से ही उन्हें बिजली प्राप्त हो जाएगी। जब तक वहां बिजली का उत्पादन नहीं होगा, जब तक बिजली

नहीं पहुंचेगी, जब तक उनके घरों में बल्ब नहीं जलेंगे, तब तक ऐसे बिजली को पहुंचाने से क्या फायदा? इसी प्रकार रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवेज के अंतर्गत बहुत खराब ऐलोकेशन किया गया है। हालांकि इसके लिए बजटरी सपोर्ट दिया जा रहा है, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, लेकिन उसके इम्प्लिमेंटेशन का क्या हो रहा है? जब तक उसका इम्प्लिमेंटेशन ही सही तरीके से नहीं होगा, तो क्या होगा? हम हमेशा बात करते हैं कि हम अपने यहां मालन्यूट्रिशियन को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में यह समाप्त हो रहा है? मेरा अनुरोध है कि इस ओर देखा जाए और इसे समाप्त किया जाए। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि इन सब चीजों की मॉनिटरिंग हो। जब तक एकाउंटेबिलिटी नहीं होगी कि कौन अधिकारी किस काम के लिए जिम्मेदार है, जब तक उनके अन्दर यह भय पैदा नहीं किया जाएगा कि जो कार्य उसे दिया गया है, उसे उसने समय पर पूरा करना है, तब तक कोई कार्य समय पर नहीं हो सकेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसके सर्विस रिकॉर्ड में एंट्री हो, उसके ऊपर ऐक्शन हो, कार्यवाही हो और उसकी जानकारी सदन को दी जाए। जब तक इस प्रकार के कार्य नहीं किए जाएंगे, तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार आम आदमी के लिए जो कुछ कार्य करना चाहती है और जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है, उसमें उसे सफलता प्राप्त हो पाएगी। इसके लिए यह बहुत आवश्यक है। **...(समय की घंटी)...** नरेगा की स्कीम्स के बारे में भी बहुत-सी चर्चाएं हो चुकी हैं। सौ दिनों के कार्य की बात हो रही थी। अभी हमारे एक पूर्व वक्ता ने कहा कि जो बजट ऐलोकेशन है, वह केवल 30 दिनों के लिए है, तो इस प्रकार से कैसे काम होगा? हमें राज्य सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम सही करना चाहिए कि कम-से-कम जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें सौ दिन कार्य करने का मौका प्राप्त हो। अगर वह नहीं होगा, तो किस प्रकार हम देश में गरीबी को समाप्त करेंगे?

उपसभापति जी, इन सब बातों को देखते हुए और समय की बाध्यता को देखते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह कृपया गरीबी की परिभाषा और मापदंड को तय करें जो हर विभाग के लिए एक हो। गरीबी से संबंधित विश्वसनीय और पर्याप्त आंकड़े हों, जिसे राज्य सरकारों से भी वैध कराया जाए। भ्रष्टाचार दूर हो, उचित मूल्य की दुकानों की सही व्यवस्था हो, सामान को सही समय और पर्याप्त ढंग से सही रूप से गंतव्य तक पहुंचाने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए, जिससे कि हमारे उत्पादकों की जो बरबादी हो रही है, वह न हो। बेघर आदिवासी और दूरदराज के इलाकों को इस व्यवस्था में विशेष रूप से शामिल किया जाए।

माननीय उपसभापति महोदय, मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी का जो उद्देश्य है, जो माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा या माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि वे इस देश की गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं, यहां पर एक अच्छा माहौल पैदा करना चाहते हैं, हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो उन सबके लिए यह बहुत आवश्यक है कि इस और सतत कार्य किए जाएं और ऐसा न हो कि जो सौ रुपए खर्च किए जाते हैं - जैसा कि कहा जाता है कि सरकार के सौ रुपए में से 10 रुपए ही आम आदमी तक पहुंचते हैं और बाकी 90 रुपए भ्रष्ट अधिकारियों और इधर-उधर के बीच-बिचौलियों के बीच में बंट जाते हैं, यह चीज समाप्त हो और सही रूप से कार्य किए जाएं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है कि इस प्रकार के कार्यों को सही रूप से किया जाए। धन्यवाद।

**श्री उपसभापति महोदय :** श्री आर.सी. सिंह। आपके पांच मिनट हैं।

**श्री आर.सी. सिंह (पश्चिमी बंगाल) :** सर, मैं अपनी बात पांच मिनट के पहले खत्म करने की कोशिश करूंगा।

**श्री उपसभापति :** ठीक है। आप उतने में ही खत्म कर दीजिए, आपका धन्यवाद। ...**(व्यवधान)**...

**श्री आर.सी. सिंह :** अगर थोड़ा आगे-पीछे हो जाए, तो आपकी थोड़ी मदद चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

सर, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो बजट है, यह तो आम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब महंगाई आसमान छू रही है, उस समय सरकार को जो आम लोगों को बजट में रिलीफ देनी चाहिए, उसकी जगह पर कुछ व्यक्तिगत मालिकों को बजट में छूट देने की कोशिश हो रही है। मुझे याद आता है कि बजट स्पीच के पैराग्राफ 93 में कहा गया है कि "the business of laying and operating cross country natural gas or crude or petro-leum oil pipeline network for description..." सर, इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स का जो 1961 का कानून था, उसमें एक नयी धारा 35 AD जोड़ी और उसे जोड़ कर 100 परसेंट टैक्स रिबेट दे दिया है। इसमें एक विशेष कंपनी को, रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 20 हजार करोड़ रुपये की छूट दी गई, जो आम लोगों तक जा सकती थी, जिसको आम लोगों के लिए नहीं रखा गया। जहां हम देश के आम लोगों की बात कहते हैं, देश के आम लोगों की हालत यह है कि जो सबसे गरीब किसान है, जिसके पास जमीन का एक छोटा-सा टुकड़ा है, इस महंगाई के आलम में वह अपनी जमीन को बेच कर के दीन-मजदूरों की लाइन में खड़ा हो रहा है। वह किसान से मजदूर बन रहा है। ऐसे किसान, जो हमारे देश के जी.डी.पी. में 22 परसेंट का योगदान करते हैं, 70 प्रतिशत से ज्यादा जिनकी जीविका खेती पर निर्भर करती है, उनके लिए जो रिलीफ देनी चाहिए थी, इसमें बजट में वह रिलीफ नहीं मिल सकी है, इसमें इसे जोड़ने की जरूरत थी। इस तरह जितनी राशि उनके वेलफेयर के लिए, उनकी जरूरतों के लिए देनी चाहिए थी, women के लिए, children's development के लिए, youths' affairs के लिए, इस बजट में sufficient प्रावधान नहीं रखा गया है, जिसको कि रखा जाना चाहिए था।

सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कृषक को जो लोन देने की बात कही गई है, इंटरेस्ट रेट 6 परसेंट उनके लिए है जो इसे टाइमली पे करेंगे, उनको रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन इस सूखे के मौसम में उनके घर में जो थोड़ा-बहुत धान बीज के लिए पड़ा हुआ था...। जो सूखे में चला गया, अब वे अपना टैक्स नहीं दे सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि जो time bound relief देने की बात कही गयी है, उस की जगह उन लोगों को permanent relief देने की व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि अभी प्रोडक्शन में 4.7 परसेंट की कमी आयी है और यह सूखे के चलते और बढ़ेगी। इसलिए उनको वह रिलीफ जारी रखी जानी चाहिए।

महोदय, मेरा तीसरा सवाल यह है कि वैश्विक मंदी में कंपनियों के बंद होने के चलते, Hire and Fire की नीति के चलते बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं और मंत्री महोदय ने कहा है कि वे 1.2 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। मुझे लगता है कि वह "नरेगा" की ही बात कर रहे हैं। इसलिए "नरेगा" में 100 दिन का रोजगार एक परिवार को देने के बजाय इसे बढ़ाकर 250 दिन किए जाएं ताकि वे लोग जिदा रह सकें। महोदय, इस तरह की व्यवस्था इस बजट में की जानी चाहिए थी। चौथी बात, इस देश का जो आम आदमी है, अभी उसे 4-5 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल पाती है और अधिकतर गांवों में तो बिजली है ही नहीं। महोदय, किसानों को खेती के लिए बिजली उपलब्ध नहीं है। बिजली उत्पादन को इस बजट में और बढ़ावा देने के लिए जिन materials से बिजली



पैदा होती है, जैसे कोयला इत्यादि, उन्हें और मजबूती देने के लिए बजट में ज्यादा allocation किए जाने की जरूरत थी जिस से कि देश में ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा की जा सकती। महोदय, हम जानते हैं कि देश में वर्ष 2008-09 में बिजली उत्पादन के टारगेट में 9.1 परसेंट की कमी थी, इसलिए इस के allocation में और ज्यादा पैसा देने की जरूरत थी।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि mines and minerals के डवलपमेंट पर भी सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि वे देश के लिए बहुत उपयोगी हैं। महोदय, मैं आखिरी एक बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। महोदय, आज जहां देश में बिजली की ज्यादा जरूरत है और उस के लिए कोयले के production की भी जरूरत है। हम विदेश से कोयला लाते हैं तो उन कंपनियों को 6 हजार टन के हिसाब से पैसा देते हैं, वहीं अपने देश में 3 हजार रुपए टन के हिसाब से payment करते हैं। मैं चाहूंगा कि बिजली कंपनियों को हमारी कोल कंपनियां उसी रेट से payment करने की व्यवस्था करें।

महोदय, अभी Public Distribution System सिर्फ बी.पी.एल. से नीचे रहने वालों के लिए ही नहीं। मैं चाहूंगा कि यह सिस्टम देश में सारे लोगों के लिए लागू हो, जिससे कि आम आदमी को relief मिल सके।

महोदय, पश्चिमी बंगाल में "आइला" के चलते, समुद्री जल के प्रकोप से पूरे पश्चिमी बंगाल का उत्तर चौबीस परगना, दक्षिण चौबीस परगना क्षेत्र के लोग व हावड़ा, हुगली नदिया जिले के लोग बुरी तरह से affected हुए हैं। इस के प्रकोप से वहां की फसल बर्बाद हो गयी है। जो लोग वहां फूल की खेती व मछली पैदा करने का काम करते थे, सब्जी उगाते थे उनका काम पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इसलिए उस इलाके में खारे पानी में जो फसल उगायी जा सके, इस तरह के बीज supply किए जाने चाहिए। महोदय, उन लोगों को relief देने के लिए सरकार ने 1 हजार करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की है जोकि पर्याप्त नहीं है। उनके लिए यह राशि बढ़ाकर जल्द-से-जल्द प्रदान करने की मैं आप के माध्यम से मांग करता हूँ।

SHRI N. K. SINGH (Bihar): Thank you, Sir. I am conscious that The Appropriation Bill has already been passed in the Lok Sabha and it has come to us for some broad discussions on the framework of the appropriations, which the Finance Minister has sought from us.

At this stage, Sir, I would just like to propose four or five suggestions for the consideration of the Finance Minister, which are more in the nature of institutional reform, in the manner in which expenditures are composed, expenditures are evaluated and the entire budgetary process is conducted.

Sir, my first suggestion is that the Finance Minister himself is quite conscious of the fact that large public outlays require scrutiny of the quality of these public outlays, in a manner which is concurrent and a manner which is independent. In the document which the Finance Ministry has circulated along with the Budget document, they have circulated a document on medium-term fiscal initiatives. In the fourth section of that medium-term initiative, they have proposed the constitution of an office of Independent Evaluator at an arm's length relationship with Government. I urge the Finance Ministry to act quickly on its own suggestion and to create an office for Independent Evaluation so that this

House can have the benefit of evaluation from an independent source on the quality of where large public outlays for which they seek our authorisation.

My second suggestion, Sir, is that I had in this House brought to the notice of the hon. Finance Minister that the present classification of Government accounts remain in a state of colossal mess. The artificial distinction between plan expenditure and non-plan expenditure, between revenue and capital expenditure is something, which needs to be holistically visited. For instance, Sir, we are often told that it is Government's objective to bring down the revenue expenditure significantly in the next two years, but perhaps Government themselves are conscious that large devolution to States on health and education is something which comes on the revenue account and the multiplier benefits of what happens in education and health have long-term benefits for the economy and, therefore, does not automatically follow that old revenue expenditure is ab initio something which we need to curtail. So, Sir, this requires a re-visiting of the classification of Government account. The issue of plan and non-plan is something on which this House has deliberated earlier and maybe the Finance Minister can give some thought to the constitution of a Government Reclassification Committee with the former CAG which can have expenditure and others to look into classification of Government accounts.

My third point, Sir, is that it is about time that the Ministry of Finance begins to reform itself and that the Ministry of Finance begins to reform the Reserve Bank of India. In fact, without wanting to embarrass the Prime Minister, I would certainly like to bring to the suggestion that in many discussions and in many speeches which the Prime Minister has made on earlier occasions before he was Prime Minister, he talked and mentioned that the most unreformed institution of the Government was the Reserve Bank of India and one of the most unreformed institutions was the Ministry of Finance. Whereas the Finance Minister and the Finance Ministry have talked the paradigm of reforms to others, this is one of those things in which one can say, 'Doctor heal theyself first.' And what kind of a change on the Reserve Bank, am I suggesting? On the Reserve Bank I am suggesting two important areas of reforms. The first, Sir, is that there is an inherent conflict of interests when the Reserve Bank, apart from fixing its monetary and credit policy, is also the principal portfolio manager of the Government. It is the investment banker of the Government. There is an inherent conflict of interest between the Reserve Bank functioning as an investment manager and the Reserve Bank functioning also as a credit monitoring institution and determining the foreign exchange policy. So, that is the first area where I think there is a conflict of interest. That may entail, of course, the creation of an independent debt management office on which there is now sufficient literature and experience available.

The other area of reforms of the Reserve Bank is, all over the world people have regarded that the functions of the Central banker must not be mixed up with the functions of the Central banker doing the supervision of individual banks. All over the world, Sir, people have created an independent

Banking Regulatory Authority. They have treated it an arms length with Central Banker which acts as a kind of an independent surveillance instrument to again avoid an inherent conflict of interest between the functions which the Central Bank is asked to perform and these two functions which I have mentioned, namely, the portfolio manager function and the function of micro supervision of banking responsibility. The Ministry of Finance itself, Sir, in terms of classification of these three Departments – Revenue, Expenditure and Economic Affairs – needs a re-think if we are to really meet the more complex challenges which lie ahead of us in the management of our economy.

My next point, Sir, is that since the Finance Ministry is keen on moving towards greater transparency in budget-making, I would urge them to consider the adoption of the OECD Budget transparency mechanism.

What does this mechanism entail? It entails that Budget is not a surprise. It is not one fine day, when something is unravelled. It is the people, public policy makers, think tanks, and, perhaps, the Parliament is engaged more decisively in the formation of the budgetary processes. This entails my final point, that point is, Sir, to improve the quality and depth of Parliamentary oversight into the Budget-making process. All over the world, Parliaments are engaged at different stages before ideas take a final crystal shape. Would, for instance, the Finance Minister consider taking this House and having a sneak preview of what the economy look like, let us say, in the Winter Session of Parliament by bringing a mid-term review paper which would you enable us to have a better grasp instead of being confronted with a surprise? Improved Parliamentary oversight, Sir, is another area where I think the institutions need to be reformed. I brought to your notice, Sir, the need for making institutional changes, the need for some far-reaching reforms in the working of the Ministry of Finance and in the working of the Reserve Bank of India. The Finance Minister has put, by having this huge outlay, his trust in money. I hope that we can trust the money in the nature with which these large public outlays have been entailed. And, these cannot be achieved unless some of the underlying institutions are reformed more fundamentally. Thank you, Sir.

**श्री मंगल किसन (उड़ीसा) :** उपसभापति जी, आज जो एप्रोप्रिएशन का बिल आया है, इसमें भारत सरकार को total 304,32,55,88,00,000 रुपए (तीन सौ चार खरब, बत्तीस अरब, पचपन करोड़, अठासी लाख रुपए) खर्च करने के लिए व्यवस्था की गई है। आजादी के बाद से हर साल का बजट प्रोविजन तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आम आदमी को जो सुविधा या facility मिलनी चाहिए, वह कम होती जा रही है और केवल चंद लोगों को, जो ऊपर के दर्जे में हैं, उनको facilities मिलती जा रही हैं। उदाहरण के लिए 6th Pay Commission में वेतनमान का जो निर्धारण किया गया, उसमें Highest salary और lowest salary का जो गैप है, उसको कम किया जाना चाहिए था। हर गरीब, आम जनता, जो poor family से आता है, जो छोटी-मोटी नौकरी करता है, उसके लिए भी यह एक बाजार है और जो highest salary और हाई पोस्ट पर आते हैं, उनके लिए भी यह एक मार्केट या बाजार है। इसलिए यह जो इतना गैप है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए था। This gap between the highest-paid person and the lowest-paid person gap should be minimised. इसके बाद देश के आजाद होने के बाद से जितने भी प्रोजेक्ट्स बने हैं, चाहें इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हों, पब्लिक सैक्टर प्रोजेक्ट्स हों या माइनिंग प्रोजेक्ट्स हों,

इन प्रोजेक्ट्स के लिए जिस परिवार ने अपना सब कुछ गवा दिया है, जिनका displacement हुआ है, उनका अभी तक resettlement नहीं हुआ है। लगभग 5,00,000 से अधिक परिवार अभी displaced हुए हैं, लेकिन उनका अभी तक हिन्दुस्तान में resettlement नहीं हुआ है। इसके चलते उन लोगों को शहर के किनारे या जंगल में रहना पड़ता है - उनके पास न घर है, न ठिकाना है, न ही उनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए या कुछ हेल्थ सर्विस available कराने के लिए कुछ रिसोर्सिज हैं। इसलिए आजादी के 62 साल बाद इस Appropriation Bill में या बजट में उनके लिए कुछ resettlement करने की सुविधा देने के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए थी। यह दुःख की बात है कि आज तक उनके लिए भारत सरकार ने कुछ नहीं सोचा है। हिन्दुस्तान में developed States हैं और poor States हैं। जैसे उड़ीसा एक गरीब राज्य है, झारखंड एक गरीब राज्य है, बिहार एक गरीब राज्य है। इन राज्यों में रहने वाले बाशिंदों को बराबर स्तर पर लाने के लिए कम से कम बजट में स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए, लेकिन दुःख की बात है कि जो पैदल जाता है, उसको बजट बोलता है कि जो aeroplane में जाते हैं, उनको दौड़ाओ। This is the bad economic system of the Government of India. We should rethink about it, and, if it is possible, it should be reviewed.

उपसभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि कुछ States, mineral resources में richest हैं, लेकिन economically poor हैं। उनकी जमीन बरबाद होती है, उनके परिवार displaced होते हैं, लेकिन जब mineral resources की इनकम होती है, उसको respective States को देने के लिए जो फार्मूला भारत सरकार ने बनाया है, वह गलत है। इसलिए जिस स्टेट में mineral resources हैं, उनके operation में, उनके exploitation में उनकी प्रॉब्लम बढ़ती है और वे displaced होते हैं। वहां का रास्ता खराब होता है, वहां का drinking water source खराब होता है, environment hazards होते हैं, लेकिन जो respective companies और भारत सरकार है, इन सब सोशल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए उनके पास कोई solution नहीं है। इसलिए इस बारे में भारत सरकार को सोचना चाहिए।

इसके बाद मेरा आखिरी प्वाइंट यह है कि जो जंगल में रहते हैं - आदिवासी हैं, शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, दूसरे गरीब वर्ग भी जो उस शैड्यूल्ड एरिया में रहते हैं, यह शैड्यूल्ड एरिया इतना पिछड़ा हुआ है कि जब तक आप इसे देखेंगे नहीं, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। आज भी जो primitive groups हैं, उनके बदन पर कपड़ा नहीं है, उनके खाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, उनके रहने के लिए घर नहीं हैं। वे लोग हर रोज nomadic life बिताते हैं और उनकी दुर्दशा होती है। बारिश के समय उनकी हालत देखकर आप भी रो पड़ेंगे। इस तरह के जो शैड्यूल्ड एरियाज हैं और वहां रहने वाले जो primitive groups हैं, उनके लिए बजट में आज तक जो भी किया गया है, वह बहुत कम है। उस एरिया के डेवलपमेंट के बारे में जब भारत सरकार अच्छी तरह से सोचेगी, तभी उनको कुछ फायदा हो सकता है। आज तक जो लोग बात करना नहीं जानते थे, जो लोग एक आम आदमी को देखकर डर जाते थे, आज उनकी हालत यह हो गई है कि उन्होंने हाथ में बंदूक उठा ली है। इसीलिए भारत सरकार को उनके बारे में सोचना पड़ेगा और उनकी डिमांड भी सुननी पड़ेगी। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Rupani. You have eight minutes.

**श्री विजय कुमार रूपाणी (गुजरात) :** उपसभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि जब चुनाव चल रहे थे, तब प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्विस् बैंक में यहां के भारतीयों का जो काला धन पड़ा हुआ है, सरकार बनने के बाद, उसको हम वापस लाने के लिए तुरंत ही ठोस कदम उठाएंगे और 100 दिनों में हम कुछ न कुछ ठोस कदम अवश्य उठाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं हुआ है, प्रणब मुखर्जी की बजट स्पीच में भी इसके बारे में एक लफ्ज तक नहीं आया है।

आज हमारे यहां पूंजी की कमी है, इसके कारण हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। इतनी बड़ी पूंजी यहां से आए और वह देश के डेवलपमेंट में लगे, इसके लिए पूरे देशवासी आतुर हैं और हम भी मानते हैं कि वह पैसा Swiss Bank से यहां आना चाहिए, लेकिन इस बजट में उसके बारे में कुछ बताया नहीं है। सौ दिनों में से साठ दिन तो चले गए हैं, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ, अब तीन-चालीस दिन बाकी है। उसके बारे में भी आप कोई ठोस कदम उठाएं, ऐसी हमारी पहली मांग है।

आप लोगों ने कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के तहत जो वेतन में वृद्धि की है, इस वृद्धि के कारण सब राज्य सरकारों पर काफी बोझा बढ़ गया है, क्योंकि यहां सभी केन्द्रीय कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है, तो natural course में सभी राज्यों के कर्मचारी वही डिमाण्ड कर रहे हैं और ज्यादातर राज्य सरकारों ने उसके बारे में घोषणा भी कर दी है कि छठा वेतन आयोग लागू होगा, लेकिन राज्यों की जो रेवेन्यू इनकम है, वह बहुत कम है, इसलिए सभी राज्यों को छठा वेतन आयोग लागू करने के लिए पैसे की मदद मिलनी चाहिए, ऐसी भी हमारी मांग है।

अब केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच टका महंगाई भत्ता बढ़ने का समय आ गया है। 01.07.2009 से 22 टका डी.ए. मिलता है, वह 27 टका मिलना चाहिए। यह केन्द्रीय कर्मचारियों का डिमाण्ड है, इसलिए उनका डी.ए. पांच टका बढ़ना चाहिए, इसलिए हमारी जो मांग है उसको स्वीकार करके केन्द्रीय कर्मचारियों को पांच टका डी.ए. मिलना चाहिए।

आज सुबह प्रश्न काल में भी विद्युत की चर्चा हुई थी। जो देश में infrastructure बढ़ाने की बात है, उसमें ऊर्जा सेक्टर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एनडीए की सरकार में तय हुआ था कि 2009 तक हर घर में बिजली होगी, हर गांव में तो होगी, लेकिन हर घर में भी बिजली होगी। लेकिन पिछले पांच वर्षों में यूपीए सरकार को बिजली का जो उत्पादन बढ़ाना चाहिए था और जिस काम को 2009 में पूरा करना था, अब वह आप 2012 की बात कर रहे हैं। गुजरात में हमने 17 हजार गांवों में without interruption तीन फेज बिजली दे दी है। साठ साल की आजादी के बाद पूरे देश की यह पहली आवश्यकता है कि हर गांव और हर घर में बिजली हो। इसके बारे में अच्छी तरह से प्रावधान नहीं किए गए हैं। हम अभी भी जो बात कर रहे हैं कि 2012 में होगी, लेकिन जो बीपीएल कार्ड रखते हैं, उनके घर में मुफ्त बिजली मिलेगी और बीपीएल में भी जो criteria था, वह भी कम कर दिया है और बीपीएल की जो वास्तविक संख्या है, उससे कम दिखाई जा रही है। जब तक real में बिजली नहीं पहुंचेगी, तब तक हमारा विकास अधूरा रहेगा और हम बिजली के आधार पर जो बाकी सब समृद्धि लाना चाहते हैं, वह नहीं ला पाएंगे और "गरीबी हटाओ" जो कार्यक्रम है, उसको भी हम अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए और बजट में इसके लिए रकम की व्यवस्था रखनी चाहिए। जो बिजली का generation यानी power manufacturing है, वह भी हम अच्छी तरह से करें और तुरंत यानी 2010 तक हर गांव में बिजली, हर घर में बिजली होनी चाहिए, उसके लिए भी बजट में प्रावधान ठीक से रखना चाहिए।

हम स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं कि प्रत्येक गांव में डॉक्टर जाए, यह हमारी कल्पना है और जब डॉक्टर गांव में नहीं होगा, वहां उनकी सुविधा नहीं मिलेगी... दवाइयां भी नहीं रहेंगी। जब डॉक्टर होंगे, तो वे वहीं रहेंगे। इसलिए डॉक्टर्स के लिए जो फैसिलिटी देनी चाहिए, वह तो स्टेट गवर्नमेंट का विषय है, लेकिन उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि डॉक्टर्स को भी गांव में अच्छा घर मिल सके, उनको रहने की अच्छी सुविधा हो, डॉक्टर्स को वहां रहने की इच्छा हो, ऐसा प्रोविजन जब होगा, तभी प्रत्येक गांव में डॉक्टर्स रहेंगे और तभी प्रत्येक गांववासी को उनकी सुविधा मिलेगी। इसलिए मैं मानता हूँ कि इसके लिए कुछ न कुछ प्रोविजन हमें रखना चाहिए। साथ ही आज जो आवश्यकता है कि प्रेग्नेट माताएं और नजवात शिशुओं की जो मृत्यु दर है, उसको कम करने के लिए वहां ये सब सुविधाएं होनी चाहिए। "चिरंजीवी योजना" जैसी योजनाएं वहां लागू करनी चाहिए और प्रत्येक गांव में उनकी व्यवस्था होनी चाहिए।

महोदय, हमारे गुजरात की बात करें, तो शिप ब्रेकिंग का हमारे यहां बहुत बड़ा बिजनेस चलता है और भावनगर में अलग उसके लिए मशहूर है। वहां बाहर से जो शिप आते हैं ब्रेकिंग करने के लिए, उस पर पांच टका इम्पोर्ट ड्यूटी है, उसे जीरो परसेंट करना चाहिए। बहुत सालों से हम लोग यह डिमांड कर रहे हैं और पूरे विश्व का शिप ब्रेकिंग बिजनेस हमारे देश में तभी बढ़ सकता है, जब उसकी ड्यूटी हम जीरो परसेंट करेंगे।

दूसरे, गुजरात और महाराष्ट्र में जो कोऑपरेटिव बैंक चलते हैं, वहां पिछले पांच साल से, माननीय चिदम्बरम जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब से उन कोऑपरेटिव बैंकों पर इनकम टैक्स लगाया हुआ है, उसको वापस लेना चाहिए। महोदय, गांवों में और शहरों में कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी जी की जो कल्पना थी, उसके कारण वह कोऑपरेटिव का बिजनेस चलता है, इसलिए उसे प्रॉफिट मेकिंग संस्था के तौर पर नहीं देखना चाहिए। वह कोऑपरेटिव मूवमेंट आगे बढ़े, इसलिए इनके बैंकों पर भी जो इनकम टैक्स लगाया गया है, वह वापस होना चाहिए। इसके साथ ही हमारी डिमांड है कि पूरे देश में Evening Courts होने चाहिए। आज सभी courts में बहुत सारे केसेज पैडिंग हैं, इसलिए पूरे देश में Evening Courts चलाए जाने चाहिए। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ डिपार्टमेंट initiative लें, उनके लिए बजट प्रोविजन करें, ऐसी हमारी डिमांड है।

**श्री नमो नारायण मीणा :** माननीय उपसभापति जी, आज एप्रोप्रिएशन बिल को इस सदन में विचारार्थ और रिटर्न करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। वैसे तो जनरल बजट की बहस में माननीय वित्त मंत्री जी ने जवाब दे दिया है, लेकिन फाइनेंस बिल इस हाउस में पुनः डिसकशन के लिए आएगा। तब उसमें चर्चा होगी और फाइनेंस मिनिस्टर उसका जवाब देंगे।

महोदय, विभिन्न मंत्रालयों की डिमांड के सिलसिले में भी अलग-अलग मंत्रालयों के लिए माननीय सदस्यों ने जो भी queries उठाई थीं, उनके जवाब प्रस्तुत कर दिए गए हैं। आज इस चर्चा में आठ महानुभावों ने अपने विचार रखे हैं। मैंने सबको ध्यानपूर्वक सुना है, सबको नोट किया है और भारत सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें माननीय सदस्यों ने यह अपेक्षा की है कि उनका इम्प्लिमेंटेशन सही हो। बजट पिछले सालों से ज्यादा रखा गया है, अच्छी बात है, लेकिन उसका इम्प्लिमेंटेशन सही हो, डिलीवरी सिस्टम सही हो और अंतिम व्यक्ति जिसके लिए वह है, उसको उसका लाभ पहुंचे - उनकी इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन साथ ही मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि विभिन्न मंत्रालय इन योजनाओं को अपनी गाइडलाइन्स के द्वारा चला रहे हैं और राज्य सरकारें उनको इम्प्लिमेंट कर रही हैं।

लेकिन फिर भी बीच-बीच में हम लोग और सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में जाते हैं। मैं स्वयं भी जब अपने संसदीय क्षेत्र में जाता हूँ तो लोगों से तरह-तरह की शिकायतें मिलती हैं कि implementation में कहीं न कहीं कोई कमी है, इसमें सुधार किया जाना चाहिए - सब मंत्रालयों को भी करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी करना चाहिए। इस बार हमारी सरकार ने, delivery mechanism सही हो और implementation सही हो, उसके प्रयास किए हैं। रोजगार गारंटी के लिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में ombudsman नियुक्त करने की बात कही गयी है ताकि भ्रष्टाचार की जो शिकायतें होती हैं, उनका तुरंत हल किया जाए और ये योजनाएं सही तरीके से चल सकें। श्री एन.के. सिंह साहब ने कई रिफॉर्म्स के बारे में सुझाव दिए हैं। जैसे scrutiny of the outlays - यह बात बिल्कुल सही है कि जो भी outlays हैं उनकी scrutiny हो। क्या दिया गया, क्या खर्च किया गया, क्यों नहीं खर्च हुआ, यह देखा जाए। इसके साथ ही classification of Government accounts, reforms in banking in general and Reserve Bank in particular और adoption of transparency in Budget-making. ये सब अच्छे सुझाव हैं। इन पर हमारा मंत्रालय विचार करेगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य सदस्यों ने कई सुझाव दिए। मैंने सब नोट किया है। आपने रोजगार गारंटी के बारे में सुझाव दिए हैं, प्रधान मंत्री सड़क योजना के बारे में सुझाव दिए हैं, विद्युत उत्पादन के बारे में, पीडीएस के बारे में, अकाउंट्स और रिटर्न्स के बारे में सुझाव दिए हैं। इसी प्रकार NREGA के बारे में, Sixth Pay Commission के बारे में और सिचाई के लक्ष्य पूरे करने के बारे में भी सुझाव दिए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन सब पर कार्यवाही होगी और फाइनेंस बिल आपके बीच में आ रहा है, उसमें आप लोगों के और महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए जाएंगे। उपसभापति महोदय, इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसको consider करके return करने का काम करें।

**श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) :** सर, रूपाणी जी ने गवर्नमेंट इम्प्लाइज को पांच परसेंट डीए... (व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2009-10, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

*The motion was adopted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

*Clauses 2 to 4 and the Schedule were added to the Bill.*

*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, I beg to move:

That the Bill be returned.

*The question was put and the motion was adopted.*

## SHORT DURATION DISCUSSION

**The increasing obscenity and vulgarity in television programmes being shown on different channels against cultural ethos of the country**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up Short Duration Discussion on the increasing obscenity and vulgarity in television programmes being shown on different channels against cultural ethos of the country. Shri Ravi Shankar Prasad.